

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ-5-08/2020/10-2
प्रति,

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक १३/११/२०२०

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छ.ग. अरण्य भवन,
सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक,
नवा रायपुर, अटल नगर।

विषय:- आवेदनकर्ता छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर द्वारा महासमुंद जिले के महासमुंद वनमंडल अंतर्गत भारत नेट प्रोजेक्ट Phase-II के तहत भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु कुल 5.923 हे. वन भूमि के वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत व्यपवर्तन प्रस्ताव।

- संदर्भ:- 1. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009।
2. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004।
3. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-829/1336, रायपुर दिनांक 08.07.2020 तथा पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-829/1860, दिनांक 20.10.2020।

—000—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें। जिसमें प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृति प्रदाय करने की अनुशंसा की गई है।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 16.10.2000, पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 08.04.2009, पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दिनांक 05.02.2009 एवं पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दिनांक 15.06.2004 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा निम्न तालिका में दर्शित विवरण अनुसार :-

तालिका

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	महासमुंद	महासमुंद	पिथौरा	सांकरा	आरक्षित वन	257	5145.492	0.5	0.258
2			पिथौरा	सांकरा	आरक्षित वन	259	965.298	0.5	0.049
3			पिथौरा	भातखुंदा	आरक्षित वन	268	4112.799	0.5	0.205
4			पिथौरा	खम्हान	आरक्षित वन	274	471.069	0.5	0.024
5			पिथौरा	बम्हनी	आरक्षित वन	275	524.591	0.5	0.026
6			पिथौरा	बम्हनी	आरक्षित वन	278	453.322	0.5	0.023
7			पिथौरा	जोगीदादर	आरक्षित वन	281	2316.328	0.5	0.116
8			पिथौरा	जोगीदादर	आरक्षित वन	282	1925.196	0.5	0.096
9			पिथौरा	सलडीह	आरक्षित वन	285	62.005	0.5	0.003
10			पिथौरा	माटीदरहा	आरक्षित वन	289	1444.791	0.5	0.072
11			पिथौरा	लारीपुर	आरक्षित वन	290	1571.938	0.5	0.079
12			पिथौरा	सलडीह	आरक्षित वन	291	549.144	0.5	0.028
13			पिथौरा	सलडीह	आरक्षित वन	292	2425.944	0.5	0.12
14			पिथौरा	सलडीह	आरक्षित वन	293	595.861	0.5	0.03
15			बसना	हाथपथरा	आरक्षित वन	294	2737.797	0.5	0.139

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
16	महासमुंद	महासमुंद	बसना	हाथपथरा	आरक्षित वन	295	888.241	0.5	0.044
17			बसना	हाथपथरा	आरक्षित वन	296	193.909	0.5	0.01
18			बसना	सराईपाली	आरक्षित वन	297	402.181	0.5	0.02
19			बसना	सराईपाली	आरक्षित वन	299	503.986	0.5	0.025
20			बसना	सराईपाली	आरक्षित वन	300	2351.087	0.5	0.117
21			बसना	सराईपाली	आरक्षित वन	301	560.399	0.5	0.028
22			बसना	बिजराभाठा	आरक्षित वन	303	1462.448	0.5	0.073
23			पिथौरा	रामभाठा	आरक्षित वन	307	2433.256	0.5	0.121
24			बसना	रंगमटिया	आरक्षित वन	308	857.958	0.5	0.043
25			बसना	रंगमटिया	आरक्षित वन	313	487.001	0.5	0.024
26			बसना	रामभाठा	आरक्षित वन	318	50.019	0.5	0.003
27			बसना	कुरमाडीह	आरक्षित वन	319	126.341	0.5	0.006
28			बसना	पुराना बेलटेकरी	आरक्षित वन	322	1297.412	0.5	0.064
29			बसना	पुराना बेलटेकरी	आरक्षित वन	325	57.833	0.5	0.003
30			बसना	गाताडीह	आरक्षित वन	326	454.125	0.5	0.023
31			बसना	सोनभर्री	आरक्षित वन	329	409.16	0.5	0.02
32			बसना	सोनभर्री	आरक्षित वन	330	192.264	0.5	0.01
33			बसना	नया बेलटेकरी	आरक्षित वन	331	182.115	0.5	0.009
34			बसना	नयाबेलटेकरी	आरक्षित वन	332	722.718	0.5	0.036
35			बसना	माधोपाली	आरक्षित वन	333	2316.679	0.5	0.116
36			बसना	सागरपाली	आरक्षित वन	338	120.36	0.5	0.006
37			बसना	सागरपाली	आरक्षित वन	339	2089.111	0.5	0.104
38			बसना	सागरपाली	आरक्षित वन	340	619.73	0.5	0.032
39			बसना	सागरपाली	आरक्षित वन	341	1169.233	0.5	0.058
40			सरायपाली	तोषगांव	आरक्षित वन	344	1551.828	0.5	0.079
41			सरायपाली	कोसमपाली	आरक्षित वन	357	686.312	0.5	0.035
42			सरायपाली	बोड़ेसरा	आरक्षित वन	358	1952.1	0.5	0.098
43			सरायपाली	बोड़ेसरा	आरक्षित वन	359	1238.801	0.5	0.062
44			सरायपाली	बोड़ेसरा	आरक्षित वन	360	4168.296	0.5	0.211
45			सरायपाली	कोटद्वारी	आरक्षित वन	364	887.178	0.5	0.045
46			सरायपाली	पतेरापाली	आरक्षित वन	406	1798.432	0.5	0.09
47			सरायपाली	समदरहा	आरक्षित वन	408	228.634	0.5	0.012
48			सरायपाली	सिंघोरा	आरक्षित वन	420	35.694	0.5	0.002
49			सरायपाली	सिंघोरा	आरक्षित वन	421	661.258	0.5	0.034
50			सरायपाली	परसकोल	आरक्षित वन	422	451.714	0.5	0.023
51			सरायपाली	परसकोल	आरक्षित वन	423	2172.602	0.5	0.108
52			सरायपाली	कलेंडा	आरक्षित वन	427	3830.407	0.5	0.191
53			सरायपाली	कलेंडा	आरक्षित वन	428	965.958	0.5	0.048
54			सरायपाली	चारभाठा	आरक्षित वन	429	257.337	0.5	0.013
55			सरायपाली	चारभाठा	आरक्षित वन	430	2730.936	0.5	0.139
56			सरायपाली	चारभाठा	आरक्षित वन	431	374.162	0.5	0.019
57			सरायपाली	बंजारीनाका	आरक्षित वन	432	180.834	0.5	0.001
58			सरायपाली	बंजारीनाका	आरक्षित वन	435	1129.026	0.5	0.054
59			पिथौरा	लारीपुर	आरक्षित वन	578	198.645	0.5	0.01
आरक्षित वन भूमि का योग							70749.295	0.5	3.537

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	प्रभावित परिक्षेत्र का नाम	प्रभावित वनखंड का नाम	प्रभावित वनभूमि का प्रकार	वन कक्ष क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
60	महासमुंद	महासमुंद	पिथौरा	सुहागपुर	संरक्षित वन	206P	1343.149	0.5	0.067
61			पिथौरा	बुदेली	संरक्षित वन	209P	1021.062	0.5	0.051
62			पिथौरा	बुदेली	संरक्षित वन	210P	80.65	0.5	0.004
63			पिथौरा	बगारपाली	संरक्षित वन	212P	2091.806	0.5	0.105
64			पिथौरा	मौहदा	संरक्षित वन	213P	766.189	0.5	0.039
65			पिथौरा	मौहदा	संरक्षित वन	215P	2430.918	0.5	0.122
66			पिथौरा	सुहागपुर	संरक्षित वन	218P	1125.625	0.5	0.056
67			पिथौरा	गिरना	संरक्षित वन	227P	1764.707	0.5	0.088
68			पिथौरा	गिरना	संरक्षित वन	229P	1388.597	0.5	0.069
69			पिथौरा	गिरना	संरक्षित वन	230P	92.44	0.5	0.005
70			पिथौरा	खपरीखोल	संरक्षित वन	232P	750.941	0.5	0.038
71			पिथौरा	सुखीपाली	संरक्षित वन	236P	894.085	0.5	0.045
72			पिथौरा	सुखीपाली	संरक्षित वन	237P	419.466	0.5	0.021
73			पिथौरा	बरेकेल	संरक्षित वन	238P	586.487	0.5	0.03
74			पिथौरा	राजादेरहा	संरक्षित वन	241P	2495.419	0.5	0.125
75			पिथौरा	भिथिडीह	संरक्षित वन	243P	1545.674	0.5	0.077
76			पिथौरा	पिथौरा	संरक्षित वन	247P	2605.053	0.5	0.13
77			पिथौरा	बल्दीडीह	संरक्षित वन	253P	3189.535	0.5	0.158
78			पिथौरा	बम्हनी	संरक्षित वन	273P	235.546	0.5	0.012
79			पिथौरा	माटीदेरहा	संरक्षित वन	254P	2463.734	0.5	0.122
80			पिथौरा	सांकरा	संरक्षित वन	258P	3303.787	0.5	0.165
संरक्षित वन भूमि का योग							30594.870	0.5	1.529
81	महासमुंद	महासमुंद	पिथौरा	पिथौरा	नारंगी क्षेत्र	477	585.313	0.5	0.029
82			पिथौरा	पिथौरा	नारंगी क्षेत्र	478	345.633	0.5	0.017
83			पिथौरा	बल्दीडीह	नारंगी क्षेत्र	483	928.357	0.5	0.047
84			पिथौरा	बरेकेल	नारंगी क्षेत्र	487	274.728	0.5	0.014
85			पिथौरा	बरेकेल	नारंगी क्षेत्र	489	323.409	0.5	0.016
86			पिथौरा	किसनपुर	नारंगी क्षेत्र	490	163.914	0.5	0.008
87			सरायपाली	बोडेसरा	नारंगी क्षेत्र	494	547.684	0.5	0.028
88			सरायपाली	सिंघोरा	नारंगी क्षेत्र	496	1185.268	0.5	0.056
89			सरायपाली	सिंघोरा	नारंगी क्षेत्र	498	817.964	0.5	0.041
90			सरायपाली	बोडेसरा	नारंगी क्षेत्र	512	470.959	0.5	0.024
91			सरायपाली	बंजारीनाका	नारंगी क्षेत्र	521	1296.299	0.5	0.066
92			सरायपाली	बंजारीनाका	नारंगी क्षेत्र	522	997.684	0.5	0.05
93			सरायपाली	बंजारीनाका	नारंगी क्षेत्र	523	297.937	0.5	0.015
94			सरायपाली	बंजारीनाका	नारंगी क्षेत्र	524	660.336	0.5	0.034
95			सरायपाली	डोंगररक्शा	नारंगी क्षेत्र	527	747.038	0.5	0.038
नारंगी वन भूमि का योग							9642.523	0.5	0.483

क्र.	जिला	प्रभावित वनमण्डल का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	प्रभावित भूमि का प्रकार	खसरा क्र.	लम्बाई (मी.)	चौड़ाई (मी.)	क्षेत्रफल (हे.)
1	महासमुंद	महासमुंद	बसना	कुरमाडीह	राजस्व वन	252	121	0.5	0.006
2			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	1	195.983	0.5	0.01
3			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	217	225.425	0.5	0.011
4			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	434	96.879	0.5	0.005
5			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	443	279.849	0.5	0.014
6			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	507	623.64	0.5	0.031
7			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	508	206.278	0.5	0.01
8			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	510	34.397	0.5	0.002
9			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	531	54.38	0.5	0.003
10			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	533	142.259	0.5	0.007
11			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	538	18.326	0.5	0.001
12			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	539	178.861	0.5	0.009
13			पिथौरा	बडेटेमरी	राजस्व वन	441	147.988	0.5	0.007
14			पिथौरा	बडेटेमरी पुरानातुक	राजस्व वन	41	71.928	0.5	0.004
15			पिथौरा	बडेटेमरी पुरानातुक	राजस्व वन	44	203.389	0.5	0.01
16			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	1063	21.672	0.5	0.001
17			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	1065	19.784	0.5	0.001
18			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	1066	18.494	0.5	0.001
19			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	1158	220.856	0.5	0.011
20			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	455	110.711	0.5	0.006
21			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	457	232	0.5	0.012
22			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	501	160.153	0.5	0.008
23			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	947	144.856	0.5	0.007
24			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	952	218.762	0.5	0.011
25			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	953	80.808	0.5	0.004
26			पिथौरा	बेलडीह	राजस्व वन	201	65.538	0.5	0.003
27			पिथौरा	झगरेनडीह	राजस्व वन	564	19.402	0.5	0.001
28			पिथौरा	कौड़िया	राजस्व वन	144	354.626	0.5	0.017
29			पिथौरा	कौड़िया	राजस्व वन	197	54.666	0.5	0.003
30			पिथौरा	कौड़िया	राजस्व वन	199	628.585	0.5	0.031
31			पिथौरा	कौड़िया	राजस्व वन	548	694.32	0.5	0.035
32			पिथौरा	कौड़िया	राजस्व वन	553	84.538	0.5	0.004
33			पिथौरा	लारीपुर	राजस्व वन	75	242.818	0.5	0.012
34			पिथौरा	लारीपुर	राजस्व वन	72	75.715	0.5	0.004
35			पिथौरा	लिलेसरा	राजस्व वन	274	50.218	0.5	0.003
36			पिथौरा	नवापारा कलां	राजस्व वन	497	600.58	0.5	0.03
37			पिथौरा	नवापारा कलां	राजस्व वन	535	230.506	0.5	0.012
38			पिथौरा	राजासेवैया खुर्द	राजस्व वन	688	98.163	0.5	0.005
39			पिथौरा	सेवैयाकलां	राजस्व वन	568	376.623	0.5	0.018
40			पिथौरा	ठाकुरदिया कलां	राजस्व वन	565	75.894	0.5	0.004
राजस्व वन भूमि का योग							7480.870	0.5	0.374
कुल योग							118467.558 (118.467 K.M.)	0.500	5.923

उक्त 118.467 कि.मी. लंबे तथा 0.50 मीटर चौड़े वन क्षेत्र कुल 5.923 हे. वन भूमि (आरक्षित वन भूमि 3.537 हे., संरक्षित वन भूमि 1.529 हे. नारंगी क्षेत्र 0.483 हे. एवं राजस्व वन भूमि 0.374 हे.) में भूमिगत ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने हेतु छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) रायपुर, छत्तीसगढ़ को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-

1. वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
2. प्रस्ताव में उल्लेख के अनुरूप ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं किया जायेगा ।
3. ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
4. उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्ति की अधिकतम चौड़ाई 0.50 मीटर तथा गहराई 1.65 मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुँचें, इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्ति को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर खन्ति को भरकर समतल किया जावेगा ।
5. स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित किया जाएगा, ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रही वनभूमि की क्षति को न्यूनतम रखा जा सके ।
6. उपरोक्त लाईन, राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर, सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
7. आवेदक संस्थान, उपयोग पश्चात, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
8. आवेदक संस्थान, स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
9. आवेदक संस्थान रखरखाव का कार्य करने के पूर्व वन विभाग से अनुमति प्राप्त करेगा ।
10. वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
11. वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशा निर्देशों एवं शर्तों का पालन किया जाएगा ।
12. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम 1980) द्वारा प्रतिमाह की 5 तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।
13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलने की आवश्यकता हो, तो आवेदक संस्थान इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी तथा राज्य शासन के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna) तथा पर्यावरण के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदक संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा-2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,


(अभिषेक कुमार सिंह)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

पृष्ठांक/क्रमांक/एफ-5-08/2020/10-2

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 03/11/2020

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षे0), भारत सरकार, पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राऊंड फ्लोर (ईस्टर्न विंग), न्यू सेक्रेटेरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
 - 2.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर छ.ग.।
 - 3.मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर (छ.ग.)।
 - 4.वनमंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल, महासमुंद (छ.ग.)।
 - 5.आवेदनकर्ता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स), स्टेट डाटा सेंटर बिल्डिंग, सिविल लाईन, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप-सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग

०/८